न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट (दौसा)

किस्म मुकदमा (फर्द अहकाम (नियम 26) फार्म 111

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज कमलकान्त बनाम राजस्थान सरकार प्रार्थना पत्र इन्द्राज दुरूस्ती	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20/7	पत्रावली पेश हुयी। प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि भूमि आराजी खसरा नं0 100/28 रकबा 5 बीघा 03 बिस्वा वाकै ग्राम शाहपुरा पटवार हल्का लालपुरा तहसील लालसोट जिला दौसा राज0 में स्थित है। जमाबन्दी सम्वत 2072 से 2075 संलग्न प्रार्थना पत्र पेश है। उक्त आराजीयात के खसरा नम्बर के राजस्व रिकार्ड अभिलेख जमाबन्दी में कमलेश पुत्र मोहरपाल का अंकन दर्ज है। उक्त राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थी कमलकान्त का नाम सहबन से कमलेश पुत्र मोहरपाल दर्ज हो गया जिसे दुरूस्त किया जाना न्यायार्थ एवं कानूनन आवश्यक है। राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिवार राशन कार्ड, भारतीय विशिष्ठ पहचान पत्र, प्राधिकरण आधार कार्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड प्रमाण पत्र, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अंकतालिका, जाति प्रमाण पत्र, मूलनिवास प्रमाण पत्र तहसील कार्यालय से जारी, निवार्चक नामावली 2014 में प्रार्थी का नाम कमलकान्त पुत्र मोहरपाल निवासी ग्राम शाहपुरा तहसील लालसोट अंकित है। जो बिलकुल सही एवं सत्य हैं जो बिल्कुल सही है। आम बोलचाल में प्रार्थी को कमलेश कहकर बुलाते है कमलेश एवं कमलकान्त एक ही व्यक्ति है। जो मोहरपाल की संतान है तथा अन्य सरकारी दस्तावेजात में प्रार्थी का नाम कमलकान्त ही दर्ज है। जिसके सन्दर्भ में ग्राम पंचायत खेमावास द्वारा कमलेश के स्थान पर कमलकान्त नाम शुद्व किये जाने बाबत प्रमाण पत्र दिनांक 18-09-2018 को जारी किया है। राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम सहबन से कमलेश दर्ज होने से प्रार्थी को के.सी.सी. लोन तथा अन्य सरकारी योजनाओ के लाभ से वंचित होना पड रहा है। इसलिए प्रार्थना पत्र दुरूस्त नाम श्रीमान के समक्ष पेश करना लाजिमी आया है। आराजी खसरा नं0 100/28 रकबा 5 बीघा 03 बिस्वा भूमि ग्राम शाहपुरा पटवार हल्का लालपुरा के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत 2072 से 2075 में प्रार्थी का नाम कमलेश पुत्र मोहरपाल को विलोपित कर उसके स्थान पर कमलकान्त पुत्र मोहरपाल किया जाना न्यायार्थ	

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा

एवं कानूनन आवश्यक हैं। प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र श्री राकेश शर्मा एडवोकेट ने पेश किया। कार्यालय रिपोर्ट ली जाकर अप्रार्थी की तलबी जारी की गई। अप्रार्थी से रिपोर्ट तलब करने हेतू तहरीर जारी कि गयी जिस पर अप्रार्थी ने अपनी रिपोर्ट पेश किया जो शामिल पत्रावली की गई। उभय पक्षकारान बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी खसरा नं0 100/28 रकबा 5 बीघा 3 बिस्वा वाकै ग्राम शाहपुरा तहसील लालसोट जिला दौसा मे स्थित है। प्रार्थी कमलकान्त का नाम सहबन से कमलेश पुत्र मोहरपाल राजस्व अभिलेख मे दर्ज हो गया जबकि प्रार्थी को कमलकान्त व कमलेश दोनो ही नाम से जाना जाता है के कारण शुद्व किये जाने योग्य है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया। हमने पत्रावली व पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजो व तहसीलदार लालसोट की रिपोर्ट का अवलोकन व मनन किया । जिसमें उल्लेख किया गया है कि विकय पत्र में भी प्रार्थी का नाम कमलेश पुत्र मोहरपाल गुर्जर अंकित है। रजिस्र्टड विकय पत्र के आधार पर जमाबन्दी मे नाम का अंकन किया गया है अतः विकय पत्र के तहत नाम शुद्व किया जाना उचित नही है। जिससे हम इस निष्कर्ष पर पहुचते है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नही है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 28/2/ को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय से सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज०